"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2012—वैशाख 14, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2012

क्रमांक 3717/डी. 130/21-अ/प्रारू./छ.ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-04-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 59 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 59 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि इस संहिता की अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किये अनुसार धारा 59 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के प्रयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा स्थापित प्राधिकरण अथवा निगमित निकाय द्वारा विकसित भूमि को व्यपवर्तन हेतु पुनः निर्धारण से छूट दी जायेगी."

3. मूल अधिनियम की अनुसूची-तीन के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची-चार जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-4
[देखिये धारा 59(2)].

स. क्र. (1)	प्राधिकरण का नाम/निगमित निकाय (2)	स. क्र. (3)	योजना का नाम (4)
अ	नया रायपुर विकास प्राधिकरण	1	नया रायपुर
ब	रायपुर विकास प्राधिकरण	1	कमल विहार इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना.
स	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	1	अटल विहार योजना."

रायपुर, दिनांक 4 मई 2012

क्रमांक 37[illegible]-डी. 130/2[illegible]-अ/प्रारू./छ.ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2012)

CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2012. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For second proviso of sub-section (2) of Section 59 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following proviso shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 59.**

"Provided further that the land developed by an authority or body corporate established by State Government for the purpose of clause (f) of sub-section (1) of Section 59 as specified in Schedule-IV of this Code, shall be exempted from re-assessment for the diversion of land.

3. After Schedule-III of the Principal Act, the following Schedule-IV shall be added, namely :—

"SCHEDULE-IV
[See Section 59 (2)]

S. No. (1)	Name of Authority/Corporate Body (2)	S. No. (3)	Name of Scheme (4)
A.	Naya Raipur Development Authority.	1.	Naya Raipur
B.	Raipur Development Authority	1.	Kamal Vihar Integrated Township Planning.
C.	Chhattisgarh Housing Board	1.	Atal Vihar Planning."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.